सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड।

बनाम

केरल राज्य और अन्य

30 नवंबर, 1965

[के. सुब्बा राव, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी, जे. जे.]

बिक्री कर किराया खरीद समझौता वित्त पोषक से लिए गए ऋण से खरीदे गए मोटर वाहन वित्त पोषक क्या किराया खरीद समझौते के माध्यम से बिक्री करने के कारण बिक्री के लिए उत्तरदायी है। त्रावणकौर-कोचीन सामान्य बिक्री कर अधिनियम ११२५ का ११ एम.ई.एस. २ (जे) स्पष्टीकरण (१)

अपीलकर्ता एक लिमिटेड कम्पनी थी, जिनका पंजीकृत कार्यालय मद्रास में था। कम्पनी उन वाहनों की सुरक्षा पर मोटर वाहनों की खरीद के वित्त पोषण का व्यवसाय करती थी, जो मोटर वाहन खरीदने के इच्छुक ग्राहक हों लेकिन डीलर को कीमत का भुगतान करने में असमर्थ हैं। उसे डीलर को आंशिक भुगतान करना होगा और फिर ऋण के लिए अपीलकर्ताओं से सम्पर्क करना होगा। अपीलकर्ता ग्राहक द्वारा निष्पादित ९ दस्तावेजों के आधार पर ग्राहक को ऋण देंगे, जिनमें से एक बिक्री-पत्र था, जो ऋण की तारीख पर

अपीलकर्ताओं को वाहन बेचने के लिए था। दूसरा एक वचन-पत्र था, जिसमें वाहन की कीमत और ग्राहक द्वारा डीलर को भुगतान की गई राशि और उस पर निर्धारित दर पर ब्याज के अंतर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की गयी थी। इनमें से एक दस्तावेज स्वयं किराया खरीद समझौता था। खंड ६ में कहा गया है कि ग्राहक द्वारा समझौते की दूसरी अनुसूची के तहत देय पूरी राशि का भुगतान करने पर वाहन ग्राहक की एक मात्र और पूर्ण सम्पत्ति बन जाएगा। २८ सितम्बर, १९५८ को बिक्री कर अधिकारी एरनाकूलम ने एक नोटिस जारी कर अपीलकर्ताओं को व्यवसाय के दौरान बिक्री से अपने टर्नआ ेवर का रिटर्न दाखिल करने और त्रावणकोर-कोचीन सामान्य बिक्री कर अधिनियम ११२५ के ११ के तहत डीलर के रूप में पंजीकरण सुरक्षित करने के लिए कहा और वर्ष १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में केरल राज्य में पक्षकारों के साथ बिक्री के लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। बाद में वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० के लिए एक और नोटिस जारी किया गया। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे अपने वित्तपोषण लेनदेन पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। क्योंकि वे केवल वित्तपोषक थे और उन्होंने केरल राज्य के भीतर पक्षकारों के साथ माल की बिक्री के किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया था और वे अधिनियम के तहत डीलर नहीं थे। हालांकि बिक्रीकर अधिकारी ने माना कि वे डीलर थे और उनके द्वारा किए गए किराया खरीद लेनदेन के परिणामस्वरूप जो बिक्री हुई वह बिक्री कर

के लिए उत्तरदायी थी। बिक्रीकर अधिकारियों के अनुसार जिस तारीख को ग्राहक वाहन खरीदने के लिए सहमत हुआ और जिस तारीख को वह बिना किसी बाधा के पूर्ण मालिक बन गया। उसके बीच तीन बिक्री लेनदेन जुडे हुए थे। वाहन के डीलर द्वारा ग्राहक को एक बिक्री, बिक्री-पत्र के तहत ग्राहक द्वारा अपीलकर्ताओं को बिक्री और खंड ६ के आधार पर बिक्री किराया खरीद समझौते के, जबकि दूसरा लेनदेन कर के लिए उत्तरदायी नहीं था, पहला और तीसरा था। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बिक्रीकर अधिकारी के खिलाफ उत्प्रेषण और निषेध की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कला के तहत प्रमाण-पत्र के साथ संविधान के १३३(१)(ए) के अनुसार अपीलकर्ता इस न्यायालय में आये।

अभिनिर्धारित: प्रति शाह और सीकरी, जे.जे. (।) किसी लेनदेन का वास्तविक प्रभाव आसपास की परिस्थितियों के मद्देनजर समझे गए। समझौते की शर्तों से निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में जब तक कानून द्वारा निषिद्धन किया गया हो, न्यायालय के पास दस्तावेजों के पीछे जाने और लेनेदने की प्रकृति निर्धारित करने की शक्ति है, चाहे दस्तावेजों का रूप कुछ भी हो। माल का एक मालिक जो पूरी तरह से सम्प्रेषित करने का इरादा रखता है या माल पहुंचाने की बात स्वीकार करता है और बाद में किराया-खरीद समझौते के तहत उन्हें किराये पर लेता है, उसे यह साबित करने से

नहीं रोका जा सकता है कि वास्तविक सौदेबाजी का उद्देश्य माल की सुरक्षा पर ऋण लेना था। (८४१ सी)

(II) किराया खरीद समझौता एक जटिल लेनदेन है। किराया खरीद समझौते के तहत मालिक समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर माल किराए पर लेने के लेनदेन में प्रवेश करता है और किराए की सभी किश्तों के भुगतान पर ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली खरीद का विकल्प तब उत्पन्न होता है जब किश्तों का भुगतान किया जाता है और न ही इस तरह के किराया खरीद समझौते में खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं होता है, किराये पर लेने वाले के पास खरीदने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। उसके पास या तो सामान वापिस करने या निर्धारित किराया और कीमत का पूरा भुगतान करके उसका मालिक बनने का विकल्प होता है। विकल्प का प्रयोग करना। खरीद समझौतों के इस वर्ग को लेनदेन से अलग किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राहक माल का मालिक है और खरीद को वित्तपोषित करने की दृष्टि से वह एक एेसी व्यवस्था में प्रवेश करता है जो फाइनेंसर के साथ एवं खरीद समझौते के रूप में है, लेकिन ठोस सबूत में है। एक लेनदेन एक किराये के समझौते के अधीन है, जिसके तहत ऋणदाता को सामान जब्त करने का लाइसेंस दिया जाता है। (८४१ जी-८४२ बी)

(III) अपीलकर्ता फाइनेंसर थे, वे मोटर वाहनों का व्यापार नहीं कर रहे थे। ग्राहक द्वारा खरीदे गये मोटर वाहन ग्राहक के नाम पर पंजीकृत थे और हर भौतिक समय पर उनके नाम पर ही पंजीकृत थे। ग्राहक से लिए गए पत्र में, जिसके तहत वह वाहन का बीमा कराने के लिए सहमत हुआ था, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वाहन अपीलकर्ताओं द्वारा िदए गए ऋण के लिए सुरक्षा पर दिया गया था। ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में कस्टम ने अपीलकर्ताओं द्वारा वाहन के डीलर को भुगतान की गइ राशि के लिए एक वचन पत्र निष्पादित किया। तथाकथित 'बिक्री-पत्र' एक औपचारिक दस्तावेज था। जिसे अपीलकर्ताओं के नाम पर वाहन पंजीकृत करके प्रभावी नहीं बनाया गया था और जहाँ तक कि वाहन का बीमा भी प्रभावी होना था। जैसे कि ग्राहक मालिक था अपीलकर्ताओं का वाहन जब्त करने का अधिकार केवल किराया खरीद समझौतों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक लाइसेंस था। ग्राहक दुनियाभर में मालिक के रूप में बना रहा। और कब्जे में रहा, और प्रदर्शन करने की शर्त पर संयोजकों को कब्जे में बने रहने का अधिकार था। किराया खरीद समझौते की शर्तों के तहत भुगतान के लिए निर्धारित तिथि से पहले भी अपीलकर्ताओं को राशि का भुगतान करने से उनकी सम्पत्ति समाप्त हो सकती है और समझौतों में निसंदेह साथ भारी अनुबंध शामिल थे। लेकिन उन सभी का उददेश्य अग्रिम राशि की अपीलीय वसूली को सुरक्षित करना था। अपीलकर्ता का किराया खरीद और संबंद्ध

समझौते प्राप्त करने का इरादा अपने ग्राहकों को दिए गए वापसी ऋण को सुरक्षित करना था। लेनदेन केवल वित्तीय सामाजिक लेनदेन था। [844 सी-एच]

चूंकि कोई बिक्री नहीं हुई थी इसलिए लेनदेन पर कोई बिक्री-कर नहीं लगाया जा सकता था, जैसा कि गैनन डूंकेरले एंड कंपनी में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया।

मद्रास राज्य बनाम गैनन डूंकेरले एंड कंपनी, [1959] एस. सी. आर. 379, रीवाटसन दिवालियापन में पूर्व पक्ष आधिकारिक प्राप्तकर्ता, (1890), 25 क्यू. बी. डी. 27 मास बनाम पेपर, (1905) ए. सी. 102 और पोलस्की बनाम एस. एंड ए. सर्विसेज, [1951] 1 सभी ई. आर. 185, संदर्भित।

के. एल. जौहर एंड कंपनी बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 1082, विशिष्ट।

प्रति सुब्बा राव, जे. (i) वर्तमान मामले में कोई प्रश्न नहीं थां उनका निर्धारण करने के लिए पार्टियों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के पीछे जाना सच्चे इरादे विचाराधीन लेन-देन इसके अनुरूप थे व्यापारिक उपयोग. फाइनेंसर और ग्राहक दोनों साथ में दाखिल हुए लेन-देन पर नजर. किराया-खरीद का. उनका इरादा था स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है। वे दृष्टिबंधक बांड निष्पादित कर

सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय किराया-खरीद लेनदेन में प्रवेश किया। लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को छुपाने का कोई कारण नहीं था। किसी का सुझाव नहीं दिया गया. इसलिए वे की शर्तों से बंधे थे समझौता। [833 ए-बी.जे]

(II) न तो यह तथ्य कि समझौते इसलिए किए गए क्योंकि ग्राहकों के पास मोटरकार खरीदने के लिए धन नहीं था और न ही यह तथ्य कि प्रतिफल का कुछ हिस्सा पहले ही डीलर को भुगतान कर दिया गया था। लेनदेन की प्रकृति को प्रभावित करता है। तथ्य यह है कि ग्राहक ने वित्त पोषक द्वारा अग्रिम धन के लिए एक वचन पत्र निष्पादित किया था। इस प्रश्न को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इसे किराया खरीद लेनदेन में विलय कर दिया गया था। यदि उक्त शरतों को पूरा नहीं किया गया तो ग्राहक समझौतों के तहत किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते और वित्त पोषक समझौते के तहत बनाए गए किसी भी दायित्व के मुक्त होकर मालिक बना रहेगा। क्या उसके बाद वित्त पोषक वचन-पत्र वापिस कर सकता है। वह नहीं कर सकता। लेनदेन को किराया समझौते के रूप में माना जाता है और उन्हें इस तरह माना जाना चाहिए जैसे कि पक्षकारों का सामान्य इरादा ऐसे लेनदेन में प्रवेश करना था। लेनदेन के गहन अध्ययन से पता चला कि डीलर और वित्त पोषक आपस में घनिष्ठ रूप से जुडे हुए थे और स्वयं के कारणों से उन्होंने किराया खरीद के व्यवसाय को उनके मध्य विभाजित कर दिया था। असल में और सार रूप में

डीलर ने पूरा पैसा प्राप्त किए बिना गाहकों को किराया खरीद समझौते के तहत तारों का कब्जा दे दिया था। (८३३ एच ८३४ सी)

(III) इस न्यायालय के फैसले मैसरस् के एल जोहर एण्ड कम्पनी के संदभ्र में यदि लेनदेन किराया खरीद समझौते थे तो जब समझौते की सभी शरतों काे पूरा कर लिया गया और विकल्प का प्रयोग किया गया तो उन सामानों की बिक्री हुइ जो तब तक किराये पर लिए गए थे। इस प्रकार बिक्री में फलित होने के बाद लेनदेन बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थे। (८३१ बी ः ८३४ बी)

मैसर्स के एल जोहर एण्ड कम्पनी बनाम उपवाणिज्यकर अधिकारी कोयम्बटयूर ।।। (१९६५) २ एस.सी.आर. ११२ पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या ६७३ और ६७७ १९६४

०५ दिसम्बर, १९६३ के फैसले के खिलाफ अपील केरल उच्च न्यायालय में मूल याचिका संख्या ११५३, १०१२, १८८०, १८८५ व १८८६ सन् १९६२

अपीलकर्ता के लिए ए बी विश्वनाथ शास्त्री और आर गणपति अययर

प्रतिवादी संख्या १ के लिए पी गोविन्दा मैनन और एम आर के पिल्लइ

सुब्बाराव जे ने असहमतिपूर्ण राय दी। शाह और सीकरी जे.जे. द्वारा फैसला दिया गया था।

सुब्बाराव जे मुझे सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। मामले के तथ्य और विद्वान वकील की दलीलें मेरे विद्वान भाइर् शाह जे द्वारा पूरी तरह से बतायी गयी हैं और मुझे उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा अपने गाहकों के साथ किए गए किराया खरीद समझौते लेनदेन है। माल की बिक्री के या केवल उसके द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण की वापसी को सुरक्षित करने वाले दस्तावेज हैं।

यह सामान्य मामला है कि उक्त दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया किराया खरीद समझौते के रूप में जाना जाता है और यदि यह उनका वास्तविक चरित्र था तो इस न्यायालय के फैसले मैसर्स केएल जोहर एण्ड कम्पनी बनाम उपवाणिज्यकर अधिकारी, कोयम्बटयूर ।।। के मामले में जब अनुबंध की सभी शर्ते पूरी हो जाती हैं और विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो उन सामानों की बिक्री होती है जो तब तक किराये पर लिए गए थे इसलिए तर्क यह था कि वे ऋणों को सुरक्षित करने वाले दस्तावेज होने चाहिए और उस उददेश्य को प्राप्त करने के लिए किराया खरीद समझौते का रूप अपनाया गया था।

शुरूआत में किराया खरीद समझौतों की प्रकृति पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है। व्यावसायिक जगत में किराया खरीद समझौते सामाजिक सेवा का हिस्सा बनकर रह गए हैं। यह सामान्य साधनों वाले वयक्तियों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति द्वारा प्रदान की जाने वाली जीवन की आवश्यकताऔ को खरीदने में सक्षम बनाता है। उस प्रणाली के तहत कोइ व्यक्ति कार, रेफरजरेटर, फर्नीचर, खाना पकाने का उपकरण और वस्तुतः कोइ भी उपयोगी वस्तु खरीद सकता है। यह किराएदार को आसान किश्तों पर भुगतान करके अपनी पसंद की वस्तु का मालिक बनने में सक्षम बनाता है, और डीलर उसे बिना किसी जोखिम के लाभ के लिए इसे उपलब्ध कराता है। यह व्यापारिक समाज सेवा का एक सामान्य और परिचित साधन बन गया है। साइमंड्स जे., ट्रांसपोर्ट एंड जनरल क्रेडिट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम मॉर्गन में कहा गया है कि:

"यह याद रखना चाहिए कि किराया खरीद समझौते अब समुदाय के वाणिज्यिक और सामाजिक जीवन में बहुत बडी भूमिका निभाते हैं, और उन किराया खरीद समझौतों का वित्तपोषण एक बहुत बडा व्यवसाय है, लंदन शहर और अन्य जगहों पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि फाइनेंसर और डीलर किराया खरीद समझौतों के पूरे व्यवसाय को व्यवहार्थ बनाने के सामान्य उद्यम में सहयोग करते हैं, जो अब अच्छे या बुरे के लिए हमारे सामाजिक जीवन का एक आवश्यक हिस्सा हैं। उस सामान्य उद्यम का एक पक्ष, जो अब एक

मान्यता प्राप्त व्यापारिक सेवा है। जैसा कि मैने पहले कहा है, साहूकार का व्यवसाय करना, भाषा का एक दुरूपयोग है ।"

जो इंग्लेण्ड के लिए सच है, वह कुछ हद तक भारत के लिए भी सच है। विशेषकर भारत के बडे शहरों में ।

अब आइए देखें कि यह प्रणाली कैसे विकसित हुइर्। सबसे पहले उक्त लेनदेन सीधे एक डीलर और उसके ग्राहक : डीलर अपना माल बेचना चाहता था और खरीदार माल की पूरी बिक्री कीमत एक मुश्त भुगतान करने की स्थिति में नही। इसलिए पार्टियों ने किराया खरीद समझौते में प्रवेश किया, जिसके तहत डीलर तब तक मालिक बना रहा जब तक कि ग्राहक ने समझौते के संदर्भ में संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान नहीं कर दिया और जब तक उसने उक्त समझौते पके तहत कवर किए गए सामान को खरीदने के अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया लेिकन डीलर हमेशा आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि वह सभी किश्तों का भुगतान होने तक इंतजार कर सके। किराया खरीद प्रणाली के विकास में दूसरा चरण तब था जब एक फाइनेंसर ने डीलर और ग्राहक के बीच हस्तक्षेप किया। फाइनेंसर डीलर से सामान खरीदता था और फिर ग्राहक के साथ एक समझौता करता था। उस स्तर पर फाइनेंसर मालिक बन गया और ग्राहक तब तक किराएदार बन गया जब तक उसने समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया। लेनदेन का एक और बदलाव यह था

कि ग्राहक ने फाइनेंसर की मदद से डीलर को पूरा भुगतान करके सामान खरीदा थाः फिर उसने फाइनेंसर को सामान बेच िदिया और उसके साथ किराया खरीद का समझौता किया। इस प्रकार के लेनदेन में डीलर पूरी तरह से तस्वीर से बाहर हो गयाः फाइनेंसर ने डीलर की जगह ले ली और ग्राहक किराएदार बना रहा। कभी-कभी जैसा कि वर्तमान मामले से पता चलता है, ग्राहक को कुछ पैसे तो मिल सकते हैं लेकिन वह पूरी कीमत नहीं दे पाता। उस स्थिति में भी लेनदेन उपरोक्त तरीके से डीलर या फाइनेंसर के साथ किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

किराया खरीद प्रणाली का उद्देश्य ग्राहक को वित्त प्रदान करने में मदद करना था ताकि वह संपत्ति खरीद सके। यद्यपि उद्देश्य यहीं था, लेनदेन ने किराया खरीद समझौते का रूप ले लिया। छोटे बदलावों के अलावा समझौते की मुख्य्य विशेषता यह थी कि डीलर या फाइनेंसर तब तक मालिक बना रहता था जब तक कि ग्राहक द्वारा समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया। जैसा भी मामला हो, डीलर या फाइनेंसर समझौते को समाप्त कर सकता है और सामान वापस ले सकता है। ऐसे लेनदेन में डीलर, फाइनेंसर और ग्राहक का सामान्य इरादा यह था कि लेनदेन को किराया खरी समझौते का रूप लेना चाहिए जो उस समझौते की शर्तों के अनुपालन पर बिक्री बन जाएगा। इसमें कोइर् संदेह नहीं है कि वित्तपोषण परिचालन बंधक या गिरवी का रूप ले

सकता था, लेकिन पार्टियों ने अपने पारस्पिरक लाभ और सुविधा के लिए किराया खरीद लेनदेन में प्रवेश किया।

किसी भी धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के अभाव में प्रश्न स्वयं के इरादे के एक सरल प्रश्न में बदल जाता है। लेनदेन व्यापाि‍रक उपयोग के अनुसार थे। फाइनेंसर और ग्राहक दोनों खुली आंखो से किराया खरीद के लेनदेन में शामिल हुए। उनका इरादा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया। वे हाइपोथिकेशन बांड निष्पादित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय किराया खरीद लेनदेन में प्रवेश किया। लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने का कोई कारण नहीं था। किसी का सुझाव नहीं दिया गया इसलिए वे समझौते की शर्तों से बंधे थे।

विचाराधीन लेनदेन और अन्य लेनदेन के बीच जो सुक्ष्म अंतर करने की कोशिश की गई है वह अप्रासंगिक हैः छोटे सुरागों का कोई मतलब नहीं है। क्योकि लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ऐसा हो सकता है कि प्रतिफल पूर्ण मूल्य नहीं था, लेकिन मालिकों को अपनी कारों को कम कीमत पर बेचने से कोई नहीं रोकता था, क्योंकि उन्हें समझौते के अनुसार राशि लौटाने पर कार वापस मिलने की उम्मीद थी। यह परिस्थिति कि पुनर्सहवन के लिए कोई स्पष्ट शब्द नहीं था। महत्वपूर्ण

नहीं है। इस शर्त के लिए कि समझौते की शर्तों के अनुपालन पर किराएदार मालिक बन जाएगा, वहीं उद्देश्य पूरा करेगा।

तर्क की पूरी भ्रांति वैधानिक प्रावधानों से बचने के लिए ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन को संपत्ति की सामान्य बिक्री और समझौतों के बराबर करने के प्रयास में निहित है। यह सच है कि भारत में ऐसे निर्णयों से भरी हुइ्र रिपोर्ट है जहां अदालतों ने पार्टियों के वास्तविक इरादे का पता लगाने का प्रयास किया। जब दस्तावेजों को उनके वास्तविक इरादे को छिपाने के लिए निष्पादित किया गया था। भारत और इंग्लैंड दोनों में ऐसे फैसले भी हैं, जहां अदालतों ने किसी दस्तावेज के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षण एफ लागू किए। जब इसे कुछ वैधानिक प्रावधानों से बचने के लिए निष्पादित किया गया था। इन निर्णयों का व्यवसाय के दौरान किए गए किराया खरीद समझौते के संदर्भ में कोई प्रभाव नहीं पडता है। सभी पक्ष लेनदेन की प्रकृ‍ित को जानते थे और उसमें शामिल शर्तों को स्वीकार करते थे।

वर्तमान मामले में लेनदेन स्वीकार्य रूप से किराया खरीद समझौते थे। फाइनेंसर ने डीलर को भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि के लिए कारें खरीदीं और ग्राहकों के साथ विशिष्ट किराया खरीद समझौते में प्रवेश किया। उनमें वे सभी सामान्य शर्तें शामिल थीं जो किराया खरीद समझौते में पाइ्र जाती हैं, न तो यह तथ्य कि समझौते इसलिए किए गए क्योंकि ग्राहकों के

पास मोटर कार खरीदने के लिए धन नहीं था और न ही यह तथ्य कि प्रतिफल का कुछ हिस्सा पहले ही डीलर को भुगतान कर दिया गया था। लेनदेन की प्रकृति को प्रभावित करता है। तथ्य यह है कि ग्राहक ने अग्रिम धनराशि के लिए एक वचन-पत्र निष्पादित किया था। फाइनेंसर प्रश्न को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इसे किराया-खरीद लेनदेन में मिला दिया गया था। यदि उक्त शर्तों को लागू नहीं किया गया था, तो ग्राहक सहमत शर्तों के तहत किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे और फाइनेंसर किसी भी शर्त से मुक्त मालिक बना रहा। समझौतों के तहत किसी भी अधिाकार का दावा नहीं कर सके और फाइनेंसर समझौते के तहत बनाए गए किसी भी दायित्व से मुक्त मालिक बना रहे हो। क्या इसके बाद वचन पत्र को लागू कर सकता है? मुझे लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा है, लेनदेन को किराया-खरीद समझौते के रूप में जाना जाता हैं और उन्हें इस तरह से माना जाना चाहिए, क्योंकि पक्षों का सामान्य इरादा इस तरह के लेनदेन में प्रवेश करना था। लेन-देन की गहन जांच से पता चलता है कि विक्रेता और वित्तपोषक निकटता से जुड़ी हुई कंपनियाँ थीं और अपने स्वयं के कारणों से उन्होंने किराए पर लेने के व्यवसाय को उनके बीच विभाजित कर दिया है। वास्तव में और सार रूप में डीलर ने पूरे पैसे प्राप्त किए बिना ग्राहकों को किराया-खरीद समझौते के तहत कारों का कब्जा दे दिया।

उपरोक्त कारणों से, मेरा मानना है कि यदि समझौते बिक्री में फलीभूत हुए थे, तो वे बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी थे। मेरे विचार से उच्च न्यायालय ने अपनी राय के लिए प्रस्तावित प्रश्न का सही उत्तर दिया।

परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती हैं और जुमार्नें के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

शाह, जे. 29 सितंबर, 1958 को बिक्री कर अधिकारी, प्रथम सर्कल, एर्नाकुलम ने एक नोटिस जारी कर अपीलकर्ताओं से व्यापार के दौरान बिक्री से अपने टर्नआ ेवर का रिर्टन दाखिल करने और त्रावणकोर-कोचीन सामान्य बिक्री कर अधिनियम ११२५ एम.इ. के ११ के तहत वर्ष 1955-56,1956-57 और 1957-58 में केरल राज्य में पार्टियों के साथ बिक्री के लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने और डीलरों के रूप में पंजीयन सुरक्षित करने का आह्वान किया। बिक्री कर अधिकारी द्वारा 3 मार्च, 1962 को वर्षों 1958-59 और 1959-60 के लिए राज्य के भीतर लेनदेन के संबंध में एक समान नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि वे अधिनियम के तहत मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वे केवल वित्तदाता थे और उन्होंने केरल राज्य के भीतर पक्षों के साथ माल की बिक्री के किसी भी कोई लेनदेन नहीं किया और वे अधिनियम के अर्थ के तहत "विक्रेता" नहीं थे। बिक्री कर अधिकारी ने 25 मार्च, 1962 और 6 जुलाई, 1962 के

आदेशों द्वारा बिक्री कर अधिकारी ने माना कि केरल राज्य के भीतर अपीलकर्ताओं और कुछ पक्षों के बीच लेनदेन अधिनियम के अर्थ के भीतर बिक्री थी और अपीलकर्ता डीलर थे, जो अधिनियम के तहत मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी थे। बिक्री कर अधिकारी ने तदनुसार अपीलकर्ताओं से राज्य में सभी लेन-देनों के विवरण के साथ पांच वर्षों के लिए बिक्री के संबंध में अपने कारोबार का विवरण दाखिल करने और "अपने विवरणों की शुद्धता और पूर्णता को साबित करने के लिए सबूत पेश करने" की अपनी मांग दोहराई।

इसके बाद अपीलकर्ताओं ने अनुच्छेद २२६ संविधान के तहत बिक्री कर अधिकारी की कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट और 25 मार्च, 1962 और 6 जुलाई, 1962 के अपने आदेशों के तहत उस अधिकारी को अपीलार्थियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की रिट के लिए केरल उच्च न्यायालय का रूख किया। केरल उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और बिक्री कर अधिाकारी के इस विचार को बरकरार रखा कि अपीलार्थियों और उनके ग्राहकों के बीच बिक्री कर त्रावणकोर-कोच्चि सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत बिक्री कर देय था। संविधान के अनुच्छेद १३३ (1) (ए) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के साथ इन अपीलों को प्राथमिकता दी जाती है।

अपीलार्थी भारतीय कम्पनी अधिनियम १९१३ के तहत निगमित कंपनी हैं और उनका पंजीकृत कार्यालय मद्स में है। कंपनी उन वाहनों की सुरक्षा पर मोटर वाहनों की खरीद के वित्तपोषण का व्यवसाय करती है। जिस तरीके से ये लेन-देन किए गए थे, वह संक्षेप में इस प्रकार है - एक ग्राहक मोटर-वाहन खरीदने का इच्छुक है, लेकिन डीलर को कीमत चुकाने में असमर्थ है फिर वह डीलर को वाहन खरीदने के लिए सहमत होता है और विक्रेता को कीमत का आंशिक भुगतान करता है। फिर वह अपील करने वालों के पास जाता है और अनुरोध करता है कि उसे ऋण दिया जाए। अपीलकर्ताओं के ऋण देने के लिए सहमत होने पर ग्राहक नौ दस्तावेजों को निष्पादित करता है विचार-(1) अपीलकर्ताओं से मोटरवाहन की सुरक्षा पर एक निश्चित राशि पर ऋण देने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन (2) एक "बिक्री पत्र" जिसमें लिखा हो कि ग्राहक ने ऋण के लिए आवेदन की दिनांक पर अपीलकर्ताओं को मोटरवाहन बेचा था। (3) एक बिल जिसमें कहा गया है कि "बिक्री-पत्र" में उल्लिखित और पूर्ण रूप से प्राप्त राशि के लिए ग्राहक ने अपीलार्थियों को ग्राहक का वाहन बेच दिया है (4) अपीलकर्ताओं को बेचे गये वाहन के मूल्य के रूप में वर्णित बिल की राशि की रसीद (5) एक समझौता जिसे किराया खरीद समझौता कहा जाता है, जिसके तहत अपीलकर्ता ग्राहक को किराये पर देने के लिए सहमत होते हैं और ग्राहक उसमें उल्लेखित शर्तों पर निर्धारण के अधीन एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मोटर वाहन किराए पर लेने के लिए सहमत होता

है। ६ वाहन की कीमत और ग्राहक द्वारा विक्रेता को भुगतान की गई राशि के बीच अन्तर और निर्धारित दर पर उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमित देने वाला एक वचन-पत्र (7) ग्राहक का एक पत्र जिसमें अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वह डीलर को वह राशि भुगतान करे जो उसे अग्रिम देने के लिए सहमत है। (8) अपीलकर्ताओं को संबोधित एक पत्र जिसमें एक वाहन, जिसकी सुरक्षा पर ऋण दिया गया था को व्यापक जोखिमों के विरुद्ध बीमा रखने की सहमति और वचन दिया गया है। (9) मोटर वाहन प्राधिकारियों को संबोधित एक पत्र जिसमें सूचित किया गया है कि मोटर वाहन मालिक के रूप में ग्राहक और अपीलकर्ताओं के बीच किराया खरीद समझौते पर विषय है और ग्राहक के नाम पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र भेजने वाला किराया खरीद समझौता संबंधी एक नोट बनाने का अनुरोध प्राधिकारियों से किया गया है। वाहन की खरीद के वित्तपोषण की योजना यह है कि ग्राहक सीधे विक्रेता से वाहन खरीदता है और इसे अपने नाम से पंजीकृत कराता है। ग्राहक द्वारा उनके अनुरोध पर अपीलकर्ता भुगतान किए जाने वाले शेष मूल्य की शेष राशि को आगे बढ़ाने के लिए सहमत होते हैं, और राशि के पुनर्भुगतान के लिए एक वचन पत्र, एक किराया-खरीद समझौते और अन्य संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित करने पर व्यापारी को इसका भुगतान करते हैं। भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि के पुनर्भुगतान पर, वाहन ग्राहक की एकमात्र और पूर्ण संपत्ति बन जाता है।

किराया खरीद समझौते की प्रासंगिक शर्तें अब एक सी हो सकती है, निर्धारित किया जाए। समझौते की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि समझौता अपीलकर्ताओं के बीच है, जिन्हें मालिक के रूप में वर्णित किया गया है। ग्राहक को किराएदार और गारंटर के रूप में वर्णित किया गया है, जो ग्राहक द्वारा उचित प्रदर्शन और पालन की गारंटी देता है। समझौते के सभी खंडों और अनुबंधों का और समझौते के तहत मालिकों को किराया खचर् या क्षित, मरम्मत, प्रतिस्थापन या अन्य आपूर्ति के माध्यम से देय या देय किसी भी धन की मांग पर भुगतान करने के लिए सहमत है। पहले खंड में यह कहा गया है कि मालिक (अपीलकर्ता) अनुबंध में उल्लिखित निर्धारण के अधीन एक निश्चित संख्या में कैलेंडर महीनों के लिए मोटर वाहन किराए पर लेंगे और किराए पर लेने वाला (ग्राहक) मोटर वाहन किराए पर लेगा। खंड २ भर्ती की शर्तें निर्धारित करता है। जिससे ग्राहक अपीलकर्ताओं को समय पर किराया देने के लिए सहमत हो जाता हैः वाहन की उचित देखभाल करना और उसे अच्छी स्थिति में रखना और उसकी पूरी कीमत के लिए उसका बीमा करानाः उस परिसर के संबंध में उसके द्वारा देय सभी किराए दरों, करों का भुगतान करने के लिए जहां वाहन को कुछ समय के लिए गैराज किया जाएगा और उक्त वाहन के संबंध में देय सभी लाइसेंस शुल्क, बीमा प्रीमियम और अन्य शुल्कः वाहन को उसकी एकमात्र अभिरक्षा और कब्जे में रखनाः और अपीलकर्ताओं को किराये के दौरान सभी उचित समय पर वाहन का निरीक्षण

करने की अनुमति देनाः किसी भी व्यक्ति को वाहन पर कोई ग्रहणाधिकार प्राप्त करने का कारण नहीं बनना, अनुमति देना या पीडित नहीं करनाः ग्राहक के विरुद्ध लगाए गए या जारी किए गए किसी भी अन्य प्रक्रिया के कारण वाहन को परेशानी निष्पादन या उत्तरदायी बनने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी या पीडित नहीं किया जाएगाः और असाइन करना, बेचना, गिरवी रखना, चार्ज नहीं करना। मालिकों की सहमति के बिना समझौते के तहत ग्राहक के वाहन को किराये पर देना, उधार देना या अन्यथा उसके कब्जे, अभिरक्षा या लाभकारी हित से अलग होना। खंड ३ द्वारा मोटर वाहन की हानि या क्षति के लिए किसी भी बीमाकर्ता द्वारा ग्राहक को देय सभी धनराशि मालिकों को सौंपी जाती है। खंड ४ उन शर्तो को निर्धारित करता है जिनमें ग्राहक को कोई सूचना दिए बिना समझौता निर्धारित किया जाना है। वे शर्तें हैः-

(ए) निर्धारित समय के भीतर नियुक्ति की किसी भी किश्त का भुगतान करने में विफलता।

(बी) ग्राहक का दिवालिया हो जाना या अपने लेनदारों के साथ समझौता हो जाना।

(सी) ग्राहक द्वारा गिरवी रखना या बेचना या गिरवी रखने या बेचने या अन्यथा अलग करने या वाहन को हस्तांतरित करने का प्रयास करना।

(डी) ग्राहक किसी ऐसे कार्य या चीज से पीडित है, जिसके परिणामस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप वाहन को कानूनी प्रक्रिया के तहत अव्यवस्थित, जब्त या निष्पादन में लिया जा सकता है।

(ई) ग्राहक द्वारा किसी भी शर्त को तोड़ना या पालन करने में असफल होना।

समझौते के निर्धारण पर ग्राहक द्वारा पूर्व में भुगतान की गई सभी किश्तें मालिकों के लिए जब्त कर ली जाएगी, जो वाहन को जब्त करने और देय सभी किश्तों के लिए मुकदमा करने और समझौते के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए मुकदमा करने का हकदार होगा।। खंड ५ के तहत ग्राहक के पास किसी भी समय वाहन को अपनी लागत पर मालिकों को सौंपकर और सीएल द्वारा अनुंध निर्धारित करने का विकल्प होता है। खंड ६ के तहत ग्राहक दूसरी अनुसूची के तहत देय संपूणर् राशि का भुगतान करने पर, वाहन ग्राहक की एकमात्र और पूर्ण संपत्ति बन जाता है। खंड ७ में यह प्रावधान है कि यदि अपीलकर्ता वाहन को जब्त कर लेते हैं और खंड ४ के तहत अपने कब्जे में ले लेते हैं या यदि ग्राहक इसे खंड ५ के तहत लौटाता है। ग्राहक एेसी जब्ती या वापसी की तारीख तक किराये राशि के बकाया के लिए अपीलकर्ताओं के प्रति उत्तरदायी रहेगा। खंड ८ के तहत यह सहमति है कि ग्राहक अपने वाहन का पंजीकरण स्वयं के नाम बनाए रखेगा, बशर्ते कि ग्राहक जब भी आवश्यक हो

पंजीकरण स्थानांतरित करेगा और विशेष रूप से तब जब ग्राहक समझौते की शर्तों के बारे में कोई उल्लंघन करता है।

बिक्री कर अधिकारियों के अनुसार जिस तारीख को ग्राहक वाहन खरीदने के लिए सहमत हुआ और उस तारीख के बीच जब वह बिना किसी रोक-टोक के वाहन का पूर्ण मालिक बन गया। तीन बिक्री लेनदेन आपस में जुडे हुए थेः डीलर द्वारा ग्राहक के लिए विक्रय किया गया। पहले उल्लिखित बिक्री-पत्र के तहत ग्राहक द्वारा अपीलकर्ताओं को बिक्री और खंड ६ के तहत किराया खरीद समझौतों के आधार पर बिक्री। यह सामान्य बात है कि पहला लेनदेन उचित बिक्री कर अधिनियम के तहत कर योग्य है। केरल राज्य की आेर से यह माना जाता है कि दूसरा लेनदेन कर योग्य नहीं है लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहक आमतौर पर अधिनियम के अर्थ के तहत डीलर नहीं है, लेकिन उनका तर्क है कि उस लेनदेन के तहत अपीलकर्ता खंड ६ के संचालन द्वारा बिक्री-पत्र के तहत वाहन में ग्राहक के अधिकारों के हस्तांतरणकर्ता बनें। किराया खरीद समझौते में अपीलकर्ताओं के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक के पक्ष में बिक्री होती है जो अधिनियम के तहत कर योग्य है। हम इस मामले में उस पर कर लगाने की अनिवार्यता से चिंतित हैं, जिसके लिए केरल राज्य का तर्क है कि यह किराया खरीद समझौते के तहत सभी किश्तों के भुगतान के परिणामस्वरूप होने वाली बिक्री है।

अपीलकर्ताऔ का कहना है कि ग्राहक द्वारा वाहन की बिक्री को स्वीकार करने वाले बिक्री-पत्र के निष्पादन से उनमें स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं बनता है, बिक्री-पत्र केवल दस्तावेजों के एक सेट में से एक है, जिसके तहत अनुमति देने की व्यवस्था की जाती है। ऋण और अपीलकर्ता द्वारा दिए गए धन का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपीलकर्ताऔं का कहना है कि वे बिक्री-पत्र के तहत वाहन के मालिक नहीं बनते हैं। किन्हीं दस्तावेजों के निष्पादन पर लेनदेन का वास्तविक प्रभाव अपीलकर्ताऔं के पक्ष में वाहन को गिरवी रखना है कि वाहन बना रहे। ग्राहक के स्वामित्व का और वह खंड ६ के अन्तर्गत किराया खरीद समझौते में ऋणभार का उन्मूलन है और शीर्षक का हस्तांतरण नहीं है, जिसे त्रावणकोर कोचीन सामान्य कर अधिनियम के तहत कर योग्य बिक्री कहा जा सकता है। ११/११२५ एम.ई. का त्रावणकोर कोची सामान्य बिक्रीकर अधिनियम मई, १९५० में लागू किया गया था। यह माना जाता है कि राज्य के अधिकारियों के पास ऐसे लेनदेन पर कर लगाने के लिए कानून बनाने की कोइर् शक्ति नहीं थी जो की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। बिक्री भारतीय माल बिक्री अधिनियम के अर्थ मेंः मद्रास राज्य बनाम गैनन दुंकेरले एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड त्रावणकौर-कोचीन सामान्य बिक्रीकर अधिनियम द्वारा बिक्री को इस प्रकार परिभाषित करता हैः-

अपनी सभी व्याकरणिक विविधताऔ और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ बिक्री का अर्थ है। व्यापार या व्यवसाय के दौरान नकद या आस्थगित

भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल में संपत्ति का हर हस्तांतरण कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुआोें में सपत्ति का हस्तांतरण भी शामिल है। लेकिन इसमें बंधक, दृष्टिबंधक, शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण (1)। - किराया खरीद या भुगतान की अन्य किश्त प्रणाली पर माल का हस्तांतरण बिक्री माना जाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि विक्रेता कीमत के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में माल में शीर्षक बरकरार रखता है।

स्पष्टीकरण (2) - यह इस परिभाषा के आलोक में है कि समझौते के खंड ६ से उत्पन्न लेनदेन पर कर के दायित्व का निर्धारण किया जाना है। यदि खंड ६ के संचालन द्वारा वाहन का स्वामित्व बेचने के मौजूदा अनुबंध के तहत कीमत के लिए ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है तो लेन-देन एक बिक्री है और कर योग्य है।

अपीलार्थी वित्तपोषक हैं और उनका व्यवसाय वाहनों की सुरक्षा पर अनुकूल शर्तों पर ऋण देना है। यह अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान के लिए एक वचन पत्र और किराया खरीद समझौते को प्राप्त करने से प्रभावित होता है जो राशि की वसूली के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यह सच है कि ग्राहक से एक बिक्री पत्र प्राप्त किया जाता है, लेकिन बिक्री पत्र के लिए ग्राहक

द्वारा भुगतान की गइ राशि को वाहन की कीमत के विरुद्ध क्रेडिट देने के बाद डीलर को देय शेष राषि ही मानी जाती है। ऋण के लिए आवेदन और वाहन का बीमा करने के लिए अपीलकर्ताऔं को संबोधित पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किराया खरीद समझौते के तहत मोटर वाहन की सुरक्षा पर ऋण मांगा और दिया गया है। यह ग्राहक है जो वाहन का बीमा करता है और मोटर वाहन प्राधिकरणों की पुस्तकों में अपीलकर्ताऔं की सहमति से वाहन का मालिक बना रहता है। इसलिए बिक्री पत्र में बिक्री की पावती रसीद और बिल में बिक्री के विवरण को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जा सकता। ये दस्तावेज- बिक्री पत्र, बिल और रसीद- वाहन की सुरक्षा पर ऋण देने के लिए आवेदन के साथ पढे जाने चाहिए। वह पत्र जिसमें ग्राहक अपीलकर्ताऔं से भुगतान की जाने वाली शेष कीमत का भुगतान करने का अनुरोध करता है। उसे डीलर को उस राशि के लिए उसके द्वारा निष्पादित वचन-पत्र, वाहन का बीमा करने का वचन और मोटर वाहन अधिकारियों को किराया खरीद समझौता को नोट करने की सूचना।

ग्राहक द्वारा निष्पादित किराया खरीद समझौता में निसंदेह कइ कठिन अनुबंध शामिल हैं। ग्राहक को नियमित रूप से सभी किराया दरों, करों और अन्य खर्चों का भुगतान करना होगा। वाहन की उचित देखभाल करनी होगी। इसका बीमा करवाना होगा। इसे पूरी तरह से मरम्मत करना होगा। और उसे सौंपने बेचने गिरवी रखने चार्ज करने प्रतिज्ञा करने अनुशासित होने उधार देने

या नहीं देने या उस पर कोई ग्रहणाधिकार बनाने के लिए। समझौता के खंड ४ में उल्लेखित किसी भी स्थिति में किराया खरीद समझौता में निर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ता को वाहन जब्त करने का अधिकार है। ये अनुबंध केवल किराया खरीद समझौते में प्रवेश करने वाले पक्षों के सच्चे इरादे पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अप्रासंगिक है कि किसी दिए गए मामले में इन अनुबंधों को अपीलकर्ताओं और ग्राहक के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में लागू नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर कि उनमें दंडात्मक धाराए शामिल हैं। अनुतोष दिया जा सकता है। पक्षकारों के सच्चे इरादे पर विचार करते समय किराया खरीद समझौते के खंड ६ की शर्तें महत्वपूर्ण हैंः इसमें यह निर्धारित किया गया है कि किरायेदार (ग्राहक) द्वारा यहां दूसरी अनुसूची के तहत देय पूरी राशि का भुगतान करने पर, उक्त वाहन किरायेदार की एकमात्र और पूर्ण संपत्ति बन जाएगा।" इससे इरादा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि किराया-खरीद समझौते के बाद किसी भी समय देय राशि का भुगतान करने पर वाहन बोझ से मुक्त होगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समझौते में नाममात्र की राशि के भुगतान पर किसी विकल्प के प्रयोग पर विचार नहीं किया गया है जैसा कि अन्य किराया-खरीद समझौतों में पाया जाता है। वचन-पत्र, किराया-खरीद समझौते और अन्य दस्तावेजों का निष्पादन हमारे निर्णय में यह दर्शाता है कि पक्षकारों का इरादा ग्राहक द्वारा वाहन में किसी भी हित को अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित नहीं करना था।

इसका उद्देश्य अपीलार्थियों के पक्ष में वाहन को गिरवी रखकर सुरक्षा और ग्राहक द्वारा किराए की खरीद समझौते की विभिन्न कठिन शर्तों के लिए प्रस्तुत किए गए अग्रिम ऋण की पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना था।

किराया-खरीद समझौता आम तौर पर वह होता है जिसके तहत एक मालिक किसी अन्य पक्षकार को माल किराए पर लेता है जिसे किरायाकर्ता कहा जाता है और आगे इस बात से सहमत है कि किरायेदार के पास संपत्ति खरीदने का विकल्प तब होगा जब वह एक निश्चित राशि का भुगतान कर चुका हो, या जब किराया-किराया भुगतान पूरा हो गया हो। अनुबंध में निर्धारित किया खरीद मूल्य पर पहुंच गया लेकिन जब किसी वित्तपोषक को माल के मालिक और ग्राहक के बीच हस्तक्षेप किया जाता है तो इसमें भिन्नताएं होती हैं। विस्तार की भिन्नताओं को अनदेखा करते हुए समझौता मोटे तौर पर दो रूपों में से एक या दूसरे को लेता हैः (1) जब मालिक मूल्य की शेष राशि की वसूली के लिए माल के खरीदार की ओर देखने के लिए तैयार नहीं होता है, और शेष राशि का भुगतान करने वाला वित्तपोषक वसूली करता है। इस रूप में, माल को फाइनेंसर द्वारा डीलर से खरीदा जाता है, और फाइनेंसर ग्राहक से एक किराया-खरीद समझौता प्राप्त करता है जिसके तहत ग्राहक निर्धारित किराए की सभी किश्तों के भुगतान पर माल का मालिक बन जाता है और नाममात्र मूल्य के भुगतान पर माल खरीदने के अपने विकल्प का प्रयोग करता है। के. एल. जौहर एंड कंपनी बनाम

उपवाणिज्यिक कर अधिकारी मामले में न्यायालय का निर्णय इस प्रकार के लेनदेन से संबंधित था। (2) लेन-देन के दूसरे रूप में, माल का ग्राहक द्वारा खरीदा जाता है, जो किराया खरीद समझौते और संबद्ध दस्तावेजों को निष्पादित करने के विचार में माल के कब्जे में रहता है, वित्तपोषक द्वारा भुगतान की गयी राशि का भुगतान उसकी आ ेर से मालिक या व्यापारी और वित्तपोषक को करने के दायित्व के अधीन एक किराया खरीद समझौता प्राप्त करता है जो उसे ग्राहक द्वारा किराया खरीद समझौते की शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में सामान जब्त करने की अनुज्ञा देता है।

किसी लेनदेन का वास्तविक प्रभाव आसपास की परिस्थितियों के मददेनजर समझे गये समझौते की शर्तों से निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में न्यायालय के पास जब तक कानून द्वारा निषिध न हो दस्तावेजों के पीछे जाने और लेन-देन की प्रकृति निर्धारित करने की शक्ति है, चाहे दस्तावेज़ का रूप कुछ भी हो। एक माल का मालिक जो पूरी तरह से माल पहुँचाने का दावा रखता है या माल पहुँचाने के लिए स्वीकार करता है और बाद में यह साबित करने का दावा करता है कि असली सौदा माल की सुरक्षा पर ऋण था। यदि माल की वास्तविक और पूर्ण बिक्री हुइर् है जो दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित है। विक्रेताआ े ं को बाद में किराया खरीद समझौतों के तहत उन्हें काम पर रखने से रोका नहीं गया है और विशिष्ट रूप से काम पर रखने से पहले और बाद में स्वतंत्र है तो लेनदेन को ऋण लेनदेन के रूप

में नहीं माना जा सकता है, भले ही मंजूरी का कारण धन जुटाना था। यदि वास्तविक हस्तांतरण माल की जब्ती के अधिकार द्वारा सुरक्षित धन का ऋण है, तो संपत्ति जाहिरा तौर पर लेनदेन को पूरा करने वाले दस्तावेजों के तहत गुजरती है, लेकिन भर्ती समझौते की शर्तों के अधीन है, जो खरीदार के स्वामित्व का हिस्सा बन जाता है, और जब्त करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति सामान खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो वह उधार लेता है। किसी तीसरे व्यक्ति से आवश्यक राशि उधार लेता है और विक्रेता को भुगतान करता है तो ग्राहक और ऋणदाता के बीच लेन-देन निश्चित रूप से एक ऋण लेनदेन होगा। लेनेदन का वास्तविक चरित्र नहीं बदला जाएगा। यदि ऋणदाता स्वयं माल का मालिक है और मालिक खरीदार द्वारा माल की डिलीवरी के लिए देय मूल्य या शेष राशि का भुगतान करने के वादे को स्वीकार करता है, तो हस्तांतरण की वास्तविक प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक किराया-खरीद समझौता एक अधिक जटिल हस्तांतरण है। किराया-खरीद समझौते के तहत मालिक समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर माल किराए पर लेने का लेनदेन करता है, और किराए की सभी किश्तों के भुगतान पर ग्राहक द्वारा प्रयोग करने योग्य खरीद का विकल्प तब उत्पन्न होता है जब किश्तों का भुगतान किया जाता है न कि पहले। इस तरह के किराया खरीद समझौते में सामान खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं होता है; किराये पर लेने वाले के पास

खरीदने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं होने के कारण उसके पास या तो सामान वापिस करने या विकल्प का उपयोग करने के लिए निर्धारित किराया और कीमत का पूरा भुगतान करके उसका मालिक बनने का विकल्प होता है। किराया-खरीद समझौतों के इस वर्ग को उन लेनदेनों से अलग किया जाना चाहिए जिनमें ग्राहक माल का मालिक होता है और अपनी खरीद के वित्तपोषण के लिए वह एक ऐसी व्यवस्था करता है जो किराया-खरीद के रूप में होती है। वित्तपोषक के साथ समझौता, लेकिन सार में एक ऋण के लेनदेन का प्रमाण है। एक किराया समझौते के अधीन जिसके तहत ऋणदाता को माल को जब्त करने का लाइसेंस दिया जाता है।

इंग्लैंड की अदालतों द्वारा तय किए गए कुछ उदाहरणात्मक मामले, जो बिक्री बिल अधिनियम, 1878 और किराया खरीद अधिनियम, 1938 से उत्पन्न होने वाली जटिलताआेें का आयात नहीं करते हैं उन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है। रे वाटसन में यह माना गया था कि दिवालियापन में पूर्व पक्षकार आधिकारिक रिसीवर व्यक्तिगत सम्पत्ति की बिक्री के लिए कथित लेनदेन की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने के बाद एक किराया और खरीद समझौते के बाद जिससे विक्रेता सहमत हो गया सम्पत्ति को क्रेता से किराये पर लेना और ऐसे किराये के लिए त्रैमासिक राशि का भुगतान करना जब तक एक निश्चित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है सम्पत्ति फिर से विक्रेता की सम्पत्ति बन जाती है और सम्पत्ति पर कब्जा करने के

लिए क्रेता को शक्ति दी जाती है। भुगतान में चूक होने पर लेनदेन के स्वरूप को अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने माना कि सम्पत्ति की बिक्री या किराये पर लेने का इरादा नहीं था। वास्तव में उददेश्य कथित खरीददार से कथित विक्रेता को धन के ऋण के लिए सुरक्षा बनाना था। इसलिए यह लेनदेन ऋण का था। प्रभु एशर, एम. आर., पी. 37 :

"...........जब लेन देन वास्तव में केवल एक ऋण लेनदेन है और ऋणदाता को उसका ऋण चुकाना है और माल पर सुरक्षा रखनी है तो दिखावटी खरीद और किराये द्वारा लेन देन की वाज़तविकता को छिपाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक मामले में यह तथ्य का प्रश्न होगा कि क्या नियुक्ति समझौते से पहले कोइ वास्तविक खरीद और बिक्री पूरी हुइ है यदि वास्तव में एेसी कोइ खरीद बिक्री होती है और बाद में माल किराए पर लिया जाता है, तो मामला बिल ऑफ सेल के अंतर्गत नहीं आता है। दस्तावेज को स्वयं साक्ष्य के भाग के रूप में देखा जाना चाहिये; लेकिन यह केवल एक हिस्सा है और न्यायालय को अन्य तथ्यों को देखना चाहिये और मामले की वास्तविक सच्चाइ का पता लगाना चाहिये।"

मास बनाम पेपर(२) में एम ने एक वाइन व्यापारी के साथ एक अनुबंध में प्रवेश किया जिसके तहत जी को एक होटल का फर्नीचर खरीदने के लिये £२,००० प्रदान करना था जिसे एक द्वारा खरीदने पर सहमति हुइ थी वाइन

व्यापारी ने उस विक्रेता को £२,००० का भुगतान किया था जिसने फर्नीचर की खरीद के पैसे के हिस्से के रूप में उस राशि की रसीद दी थी। इसके बाद एम ने शराब व्यापारी के पक्ष में एक किराया खरीद समझौता निष्पादित किया और शराब व्यापारी ने एम को फर्नीचर का भुगतान किश्तों में करने दिया और एच को दिये गये फर्नीचर को तब तक एम की संपत्ति नहीं बनने दिया जब तक कि सभी किश्तों का भुुगतान नहीं कर दिया गया। हाउस ऑफ लार्डस ने यह माना था कि परिस्थितियों से पता चलता है कि लेन देन केवल रंगीन था और किराया खरीद समझौते की सुरक्षा पर एक ऋण था।

पोल्सकी बनाम एस. और ए. सर्विसेज (१) में वादी ने एक मोटर कार खरीदी और कीमत का एक चैक दिया। चैक की व्यवस्था करने में असमर्थ होने के कारण, उसने प्रतिवादियों के साथ एक लेन देन किया जो मोटर कारों की खरीद के वित्तपोषण का व्यवसाय करता था यद्वपि वादी ने मोटर कार खरीदी थी और केवल ऋण मांगा था, मोटर-कार, और केवल ऋण की मांग करते हुए, उसके और प्रतिवादियों के बीच लेन-देन मोटर-कारों की खरीद के वित्तपोषण के दौरान प्रतिवादियों द्वारा उपयोग किए गए दस्तावेजों के माध्यम से किया गया था, और वे वादी से मोटर-कार खरीदने और उसे किराए पर लेने के समझौते के तहत उसे देने के लिए कथित थे। इसके बाद वादी ने यह दावा करते हुए एक घोषणा के लिए कार्रवाई की कि बिक्री विधेयक

अधिनियम, 1882 के तहत किराया-खरीद समझौता अमान्य था। लॉर्ड गोडार्ड, सी. जे. ने वादी के दावे को बरकरार रखते हुए पृष्ठ 188 में निर्धारित किया :

"काफी संख्या में मामले उद्धृत किए गए थे...........जिस बिंदु पर, मुझे लगता है, अधिकार दो पंक्तियों में सुविधाजनक विभाजित हो सकता है वहाँ पर पर एक तरफ, मामलों का वर्ग, जिनमें से यॉर्कशायर रेलवे वैगन कं. बनाम मैक्लूर-(1882) Ch. डी. 309-और ब्रिटिश रेलवे ट्रैफिक एंड इलेक्ट्रिक कं. बनाम कान-(1921) डब्ल्यू. एन. 52-अच्छे उदाहरण हैं, जहाँ लेनदेन में प्रश्न को वास्तविक बिक्री माना गया है जिसका एक किराया-खरीद समझौते द्वारा पालन किया गया है, और इसलिए, अप्रभावित बिक्री बिल अधिनियमों द्वारा, और, दूसरी ओर, वहाँ एक वर्ग है, जिसमें री वॉटसन, एक्स पी दिवालियापन में आधिकारिक प्राप्तकर्ता शामिल हैं। -(1890) 25 क्यू. बी. डी. 27-और मैडेल बनाम थॉमस एंड कंपनी। - (1891) 1 क्यू. बी. 230- जंहा न्यायालय ने, वर्तमान मामले से बहुत ही भिन्न नहीं होने वाले तथ्यों पर यह माना है कि वास्तविक लेन देन ऋण का था और इसलिये इसे टाला गया था। मुझे लगता है कि निर्णय लेने के सिद्धांत के बारे में कोई संदेह नहीं है, न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या विचाराधीन लेन-देन एक वास्तविक बिक्री है संपत्ति के मूल मालिक द्वारा उस व्यक्ति को जो पैसा ढूंढ रहा है और किराया-खरीद शर्तों पर मूल मालिक को किराए पर दिया जाना है या नहीं, लेन देन उस रूप में हालांकि माल की सुरक्षा पर पैसे के ऋण से ज्यादा कुछ नहीं है।

................न्यायालय को केवल दस्तावेज को नहीं देखना है उसे यह पता लगाना होगा कि वास्तविक लेन-देन क्या था। जैसा कि लॉर्ड एशर, एम. आर. ने मैडेल बनाम में कहा [(1891) 1 क्यू. बी. 234]। थॉमस एंड कंपनी :

"........अदालत को दस्तावेज के माध्यम से या उसके पीछे देखना है और वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए; और, यदि वास्तव में दस्तावेज़ केवल पैसे की प्रतिभूति के रूप में दिए जाते हैं, फिर वे बिक्री के बिल हैं।"

इन सिद्धांतों के आलोक में अपीलार्थियों के लेन-देन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाया जा सकता है अपीलकर्ता वित्तपोषकों के व्यवसाय की देखभाल कर रहें है वे मोटर वाहनों में सौदा नहीं कर रहे हैं। ग्राहक द्वारा खरीदा गया मोटर-वाहन ग्राहक के नाम पर पंजीकृत होता है और हर भौतिक समय पर उसके नाम पर पंजीकृत रहता है। ग्राहक से लिए गए पत्र में जिसके तहत ग्राहक वाहन का बीमा कराने के लिए सहमत होता है, यह स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है कि वाहन को अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए ऋण की प्रतिभूति के रूप में दिया गया है। ऋण के पुनर्भुतान की सुरक्षा के रूप में ग्राहक अपीलकर्ताओं द्वारा वाहन के विक्रेता को भुगतान की गइ राशि के लिए एक वचनपत्र निष्पादित करता है तथाकथित "बिक्री पत्र" एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे अपीलकर्ताओं के नाम पर वाहन को पंजीकृत करके प्रभावी नहीं बनाया जाता है और यहां तक कि वाहन का बीमा भी इस तरह से किया

जाता है जैसे कि ग्राहक ही मालिक हो। वाहन को जब्त करने का उनका अधिकार केवल किराया-खरीद समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनुज्ञप्ति है। ग्राहक पूरी दुनिया में मालिक के रूप में बना रहता है और कब्जे में रहता है, और नियमों को पूरा करने की शर्त पर उसे कब्जे में बने रहने का अधिकार है। भुगतान के लिए निर्धारित तिथियों से पहले ही किराया-खरीद सहमति की शर्तों के तहत उन्हें देय राशि का भुगतान करके अपीलार्थियों के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। समझौते में निस्संदेह कई भारी समझौतों को शामिल किया गया है, लेकिन उन सभी का उद्देश्य अपीलार्थी को विज्ञापन में दी गई राशि की वसूली सुनिश्चित करना है। तदनुसार हमारा विचार है कि किराया-खरीद और संबद्ध समझौतों को प्राप्त करने में अपीलकर्ताओं का इरादा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋणों की वापसी सुनिश्चित करना था, और ग्राहक द्वारा अपीलकर्ताओं को वाहन की कोई वास्तविक बिक्री का इरादा नहीं था। लेन-देन केवल वित्तपोषण का लेन-देन था। इसलिए इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में खर्च के साथ अपीलों की अनुमति दी जाएगी। एक सुनवाई शुल्क।

आदेश

बहुमत की राय के अनुसार इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में खर्च के साथ अपील की अनुमति दी गई। एक सुनवाई शुल्क।

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय सिंह महावर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवाहरिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।